

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय)

क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून संभाग

बसलावाला, हाथीबडकला, देहरादून(उत्तराखण्ड)

वेबसाइट-<https://rodehradun.kvs.gov.in>

0135-2749510 (DC)/2743192 (AC)/

2746371 (AO)



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

(An Autonomous Body under Ministry of Education, GOI)

Regional Office, Dehradun Region

Salawala, Hathibarkala, Dehradun (UK)

Website - <https://rodehradun.kvs.gov.in>

Tele.0135-2749510 (DC)/2743192 (AC)/

2746371 (AO)

E-Mail : ackvsroddr@gmail.com, acacadkvsroddr@gmail.com, aokvsroddr@gmail.com, aaokvsroddr@gmail.com

एफ.100-1(वी.एम.सी.)/2023-के0वि0सं0/डी.डी.आर./प्रशा0/2428-29

दिनांक : 28.03.2023

प्राचार्य,

केन्द्रीय विद्यालय,

पौड़ी।

विषय :- विद्यालय प्रबंधन समिति के नए नामित सदस्यों के परिवर्तन के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके कार्यालय के पत्रांक संख्या एफ.- 6-6/वी.एम.सी./के.वि.पी/2022-23/ 124 दिनांक

23.03.2023 के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा भेजे गये विद्यालय प्रबंधन समिति के पुनर्गठन का प्रस्ताव निम्नलिखित विवरण के साथ दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2026 तक स्वीकृत किया जाता है।

S.No	Designation	सदस्यों के नाम
1	Chairman	Sh. Sushil Kumar, IAS, Commissioner (Garhwal)
2	Nominee Chairman	Sh. Narendra Singh Additional Commissioner (Garhwal)
3&4	Eminent Educationist	1. Mr. K.K.Mishra, Principal, Govt. Inter College, Kyark, Pauri. 2. Ms. Mamta Kala, Principal, GGIC, Pauri.
5	Eminent person of the area known for outstanding work in the field of culture	Mr. Vijay Kaparwan, Village Development Officer, Pauri.
6&7	Parents member	1. Smt. N.Chauhan, M/o Kum. Khushi Chauhan, Class-X-A. 2. Sh. B.B.Yadav, F/o Kum. Yamini Yadav, Class- XI-A.
8	Eminent Doctor of the area	CMO.Pauri.
9	Representative of SC/ST Class I Officer	Smt. R.Bharti, Jila Gramyodhog Adhikari, Pauri.
10	Teacher Representative	Mr. Sanjay Pant, PGT (Comp. Sc.), KV, Pauri.
11	Member Secretary	Principal, KV, Pauri.
12	Co-Opted Member/ Educationist	SDM.Pauri Garhwal
13	Chairman CGEWCC	Vacant
14	Technical Expert Member	EE.CPWD, Srinagar

1. विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक वर्ष में तीन बार केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्षता में अवश्य की जानी चाहिए तथा विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यवृत्त को इस कार्यालय में भेजा जाये।

2. निम्नलिखित उप समितियां भी तुरन्त गठित की जा सकती हैं:-

(क) विद्यालय कार्यकारिणी समिति।

(ख) विद्यालय नियुक्ति समिति।

(ग) विद्यालय निस्प्रयोज्य समिति (Condemnation Board).


(घ) विद्यालय सरकारी आवास आबंटन समिति।

3. विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यकाल पूर्ण होने पर दिनांक 01.04.2026 से नवीनीकरण किया जायेगा।

भवदीय,

(मीनाक्षी जैन)

उपायुक्त



उपायुक्त

file

प्रतिलिपि : अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति, केन्द्रीय विद्यालय, पौड़ी, उत्तराखण्ड को सूचनाार्थ।